कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री कुमार इण्टरप्राइजेज, इटौंजा, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**051 / 13, 11.10.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री मनोज कुमार पाण्डेय, फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री कुमार इण्टरप्राइजेज, इटौंजा, लखनऊ द्वारा दिनांक 11.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा डाबर च्यवनप्राश एवं डाबर हाजमोला पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की दर बताने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री मनोज कुमार पाण्डेय, फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि वे सर्वश्री डाबर इण्डिया लिमिटेड साहिबाबाद, गाजियाबाद के उत्पाद-डाबर च्यवनप्राश एवं डाबर हाजमोला के थोक विक्रेता हैं। निर्माता कम्पनी द्वारा अपने इनवायस में आयुर्वेदिक दवाओं पर 4% की दर से कर चार्ज किया जाता है। वर्तमान समय में डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-16, लखनऊ द्वारा नोटिस दिनांक 10.09.2013 प्रेषित की गयी है जिसमें डाबर च्यवनप्राश एवं डाबर हाजमोला की बिक्री पर 4% के स्थान पर 12.5% की दर से करदेयता मानते हुए अन्तरीय दर 8.5% की मॉग की गयी है तथा रु0 64,78,523/- और कर आरोपित करने के तथ्य का भी उल्लेख किया गया है। यह भी कहा गया कि सर्वश्री डाबर इण्डिया लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2009-10 की बिक्री पर 4% की दर से करदेयता स्वीकार की गई है जिसे तत्कालीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा 4% की दर को मान्यता देते हुए कर निर्धारण किया गया है। अन्त में अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा बिक्रीत डाबर च्यवनप्राश एवं डाबर हाजमोला पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की जाये।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या-2177, दिनांक 11.11.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थना-पत्र का मुख्य बिन्दु डाबर च्यवनप्राश एवं डाबर हाजमोला वस्तु के सम्बन्ध में कर की दर जानने की अपेक्षा की गयी है। प्रश्नगत दोनों वस्तुएं किसी वर्गीकृत वस्तुओं की प्रविष्टि में अनुसूचित नहीं हैं बल्कि उपरोक्त वस्तुओं का प्रयोग फूड सप्लीमेन्ट के रूप में सामान्य तौर पर किया जाता है जिसके कारण इसको अवर्गीकृत मानते हुए करारोपण किया जाना अपेक्षित होगा।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में यह प्राविधानित है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तभी वह धारा-59 के अन्तर्गत विनिश्चित किये जाने

....2

योग्य होगा । प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत लिखित अभिकथन में यह उल्लेख किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-16, लखनऊ द्वारा धारा-31 के अन्तर्गत दिनांक 08.10.2013 के लिए नोटिस जारी करते हुए 4% के स्थान पर 12.5% की दर से कर आरोपित किये जाने का तथ्य अंकित किया गया है । प्रार्थी के इस कथन से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अधीन कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन चल रही है । यह कार्यवाही प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्न से भिन्न नहीं है । अत: प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर धारा-59 के अन्तर्गत विनिश्चित करते हुए नहीं दिया जा सकता है । परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 का प्रार्थना-पत्र धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा डाबर च्यवनप्राश एवं डाबर हाजमोला के सम्बन्ध में कर की दर बताने का अनुरोध किया गया है । प्रार्थी के लिखित अभिकथन से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में प्रार्थी के फर्म को उनके कर निर्धारक अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत डाबर च्यवनप्राश एवं डाबर हाजमोला पर क्रमश: फूड सप्लीमेन्ट एवं अवर्गीकृत की भाँति कर आरोपित करने का नोटिस जारी किया है जिसमें सुनवाई की तिथि 08.10.2013 निर्धारित की गई है । नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त धारा-59 का प्रार्थना-पत्र दिया है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न उत्पन्न प्रश्न का उत्तर वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिया जा सकता है । अतएव वर्णित परिस्थितियों में तकनीकी रूप से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार ग्राह्य नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2013

ह0 / 11.12.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।